रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092023-248994
CG-DL-E-25092023-248994

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2023/आश्विन 3, 1945
No. 543] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2023/ASVINA 3, 1945

वित्त मंत्रलाय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2023

आय-कर

सा.का.नि. 685(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 11पक के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उपनियम (1) के खंड (ग) के यथास्थिति उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी:-

(अ) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य, ऐसे कोट नहीं किए साधारण शेयरों के मूल्यांकन तारीख पर मूल्य होगा, उनका, जहां निर्धारिती द्वारा किसी निवासी से प्रतिफल प्राप्त किया जाता है; निर्धारिती के विकल्प पर,

उपखंड (क), उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (ङ) के अधीन और जहां निर्धारिती द्वारा किसी अनिवासी से प्रतिफल प्राप्त किया जाता है, निर्धारिती के विकल्प पर उपखंड (क) से (ङ) के अधीन निम्नलिखित रीति से अवधारित होगा:-

(क) कोट नही किए गए साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य =(क–ठ)× [तफ/तङ], जहां–

क = तुलनपत्र में किसी आस्ति का बही मूल्य आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कटौती या संग्रहण या अग्रिम कर के रूप में संदत्त की कोई रकम वापिसी के रूप में दावा करके रकम द्वारा घटाए गए रूप में होगी और जो आस्तियों के रूप में तुलनपत्र में दर्शाई गई कोई रकम जिसके अंतर्गत आस्थगित व्यय के परिशोधन रकम भी है जो किसी आस्ति की मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है;

ठ = तुलनपत्र में दर्शित दायित्वों का बही मूल्य, जिसमें निम्नलिखित रकम सम्मिलित नहीं होगी, अर्थात्:-

(i) साधारण शेयरों के संबंध में संदत्त होंगी;

(ii) अधिमानी शेयरों और साधारण शेयरों पर लाभांश के संदाय के लिए पृथक् रखी गई रकम जहां ऐसा लाभांश, कंपनी के साधारण निकाय की बैठक पर अंतरण की तारीख के पूर्व घोषित नहीं किया गया है;

(iii) अवक्षयण के लिए पृथक् रखे गए आरक्षिती से भिन्न, आरक्षिती और अभिशेष, चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाए, परिणामी अंक यदि ऋणात्मक है;

(iv) कराधान के लिए उपबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम, आयकर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कटौती या संग्रहण या अग्रिम कर के रूप में संदत्त की कोई रकम वापिसी के रूप में दावा करके रकम द्वारा घटाए गए रूप में होगी और जो आस्तियों के रूप में तुलनपत्र में दर्शाई गई कोई रकम जिसके अंतर्गत आस्थगित व्यय के परिशोधन रकम भी है जो किसी आस्ति की मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है;

(v) अभिनिश्चित, दायित्वों से भिन्न किन्हीं दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए उपबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम;

(vi) सवंचयी अधिमानी शेयरों के संबंध में संदेय लाभांश के बकाया से भिन्न, समआश्रित दायित्वों को पूरा करने के लिए का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई रकम;

तङ = संदत्त साधारण शेयर पूंजी की कुल रकम जिसे तुलनपत्र में दर्शित किया गया है।

तफ = ऐसे साधारण शेयर का सामादत्त मूल्य; या

(ख) कोट नहीं किए गए साधारण शेयर का उचित बाजार मूल्य मितिकाटे पर मुक्त नकद प्रवाह पद्धति के अनुसार किसी वाणिज्यिक बैंककारी द्वारा अवधारित होगा ।

(ग) जहां जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी या विनिर्दिष्ट निधि से कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों के निर्गमन के लिए जोखिम पूंजी उपक्रम द्वारा प्रतिफल प्राप्त किया जाता है, ऐसे प्रतिफल के तत्स्थानी साधारण शेयरों की कीमत ऐसे उपक्रमों के विकल्प पर, उस विस्तार तक साधारण शेयरों के उचित बाजार मूल्य के रूप में ली जाएगी, जहां तक ऐसे उचित बाजार मूल्य से प्रतिफल उस सकल प्रतिफल से अधिक नहीं होता हो, जो जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी या विनिर्दिष्ट निधि से प्राप्त किया जाता है:

परंतु जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी या किसी विनिर्दिष्ट निधि से कोट नहीं किए गए शेयरों को निर्गमित करने के लिए जोखिम पूंजी उपक्रम द्वारा प्रतिफल ऐसे शेयरों जो मूल्यांकन की विषय वस्तु है, को निर्गमित करने की तारीख से नब्बे दिन पहले की अवधि के भीतर या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया है

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा, जो धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) के स्पष्टीकरण के खंड (कक) में उसका है;

(ii) "जोखिम पूंजी कंपनी", "जोखिम पूंजी निधि" और "जोखिम पूंजी उपक्रम" का वही अर्थ होगा, जो धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में उसका है;

उदाहरण: यदि जोखिम पूंजी उपक्रम, पांच सौ रुपए प्रति शेयर की दर पर एक सौ शेयर निर्गमित करने के लिए जोखिम पूंजी कंपनी से पचास हजार रुपए का प्रतिफल प्राप्त करता है, तब ऐसा उपक्रम इस दर पर किसी अन्य विनिधानकर्ता को जोखिम पूंजी कंपनी से प्रतिफल प्राप्ति से नब्बे दिवस पहले की अवधि के भीतर या उसके पश्चात् एक सौ शेयर निर्गमित कर सकता है ।

(घ) कोट नहीं किए साधारण शेयरों के उचित बाजार मूल्य का निर्धारण एक वाणिज्यिक बैंककारी द्वारा निम्नलिखित किसी एक पद्धति से किया गया हो :

(i) तुलनीय कंपनी बहुपद्धति;

(ii) अधिसंभाव्यता भार प्रत्याशा विवरण पद्धति;

(iii) विकल्प कीमत निर्धारण पद्धति;

(iv) माइलस्टोन विश्लेषण पद्धति;

(v) प्रतिस्थापन लागत पद्धति ।

(ङ) जहां कंपनी द्वारा कोट नहीं किए साधारण शेयरों को निर्गमित करने के लिए धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन अधिसूचित किसी इकाई से कोई प्रतिफल प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे प्रतिफल के तत्स्थानी साधारण शेयरों की कीमत ऐसी कंपनी के विकल्प पर साधारण शेयरों के उचित बाजार मूल्य के रूप में ली जा सकेगी, जब तक कि ऐसे उचित बाजार मूल्य उस सकल प्रतिफल जो अधिसूचित इकाई से प्राप्त किया जाता है, अधिक नहीं हो:

परंतु कंपनी द्वारा धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) के पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन अधिसूचित इकाई से शेयरों, जो मूल्यांकन की विषयवस्तु है, को निर्गमित करने की तारीख से नब्बे दिवस की अवधि के भीतर या उसके पश्चात् प्राप्त किए गए हैं ।

(आ) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (i) प्रयोजनों के लिए आज्ञापक संपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों का उचित बाजार मूल्य वह मूल्य होगा जो मूल्यांकन की तारीख पर निम्नानुसार -

(i) निर्धारिती के विकल्प पर खंड (अ) के उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (ङ) से उपखंड (ङ) के अनुसार या निर्धारिती के विकल्प पर खंड (अ) के उपखंड (क), उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (ङ) के अनुसार अवधारित कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों के उचित बाजार मूल्य के आधार पर, जहां ऐसा प्रतिफल निवासी से प्राप्त किया जाता है; और

(ii) निर्धारिती के विकल्प पर खंड (अ) के उपखंड (ख), उपखंड (ग), उपखंड (घ) या उपखंड (ङ) के अनुसार, या निर्धारिती के विकल्प पर खंड (अ) के उपखंड (क), उपखंड (ख), उपखंड (ग), उपखंड (घ) या उपखंड (ङ) के अनुसार अवधारित कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों के उचित बाजार मूल्य के आधार पर, जहां ऐसा प्रतिफल अनिवासी से प्राप्त किया जाता है, यथा अवधारित किया जाएगा ।

(3) जहां उपनियम (3) के प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक बैंककारी द्वारा मूल्यांकन की रिपोर्ट की तारीख, ऐसे शेयरों जो मूल्यांकन की विषयवस्तु है, के निर्गमित किए जाने की तारीख से नब्बे दिवस से पूर्व नहीं है, ऐसी तारीख निर्धारिती के विकल्प पर मूल्यांकन की तारीख समझी जा सकेगी:

परंतु जहां इस उपनियम के अधीन ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वहां नियम 11प के खंड (ञ) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

(4) उपधारा (2) के खंड (अ) या खंड (आ) के प्रयोजनों के लिए, जहां शेयरों की निर्गम कीमत--

(i) किसी निवासी से प्राप्त प्रतिफल के लिए खंड (अ) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) के अधीन यथा अवधारित शेयरों के मूल्य से मूल्यांकन कीमत के दस प्रतिशत से अनधिक रकम से अधिक है, वहा निर्गम कीमत ऐसे शेयरों का उचित बाजार मूल्य समझी जाएगी;

(ii) किसी अनिवासी से प्राप्त प्रतिफल के लिए खंड (अ) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (घ) के अधीन यथा अवधारित शेयरों के मूल्य से मूल्यांकन कीमत के दस प्रतिशत से अनधिक रकम से अधिक है, वहा निर्गम कीमत ऐसे शेयरों का उचित बाजार मूल्य समझी जाएगी;

स्पष्टीकरण.— इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "निर्गम कीमत" से कंपनी द्वारा एक शेयर से प्राप्त प्रतिफल अभिप्रेत है।

[अधिसूचना सं. 81/2023/फा. सं. 370142/9/2023-टीपीएल भाग(1)]

अमृत प्रीतम चेतिया, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थें और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 637(अ), तारीख 30 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।